

उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक दुर्ग (छ.ग.) 491001
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 04 के संबंध में विभाग से संबंधित जानकारीयों:-

(1) संस्था की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य:

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रमुख तकनीकी शिक्षण संस्था उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक दुर्ग के रूप में विभिन्न पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों के प्रभावी संचालन के जरिए कुशल एवं दक्ष तकनीशियन तैयार करने का उत्तरदायित्व यह संस्था गत 55 वर्षों से पूरे मनोयोग के साथ निष्पादित कर रही है।

इस संस्था में 8 विभिन्न संकायों में अध्ययनरत लगभग 1521 छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक उन्नयन किया जा रहा है, उन्हें न केवल तकनीकी विषयों में परिपक्व ज्ञान प्रदान किया जाता है, साथ ही साथ उन्हें सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा देकर, जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार किया जाता है तथा उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाता है।

(2) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के गुणवत्तायुक्त विकास, समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए संस्था के अधिकारियों एवं तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्य सराहनीय हैं।

(3) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:

→ लिपिक → तकनीकी कर्मचारी → व्याख्याता → विभागाध्यक्ष → प्राचार्य

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान:

छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की आचार संहिता का पालन करना

(5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख:

यथा समय शासन से जारी निर्देशानुसार

(6) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण:

शिक्षण संस्थान से संबंधित दस्तावेज

(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं:

सभी नीतियों के लिए यह व्यवस्था लागू है।

(8) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण:

संस्था के लिये लागू नहीं है।

१/११/११, oa १/११०१/११ vi us vf/kdkfj ; ka vkj deḡpkfj ; ka
dh funf' kdk%

I ḡFkk ds vf/kdkfj ; ka , oa deḡpkfj ; ka dh uke] i nuke , oa nj Hkk"k			
dz	vf/kdkjh@ deḡpkjh dk uke	lknuke	nj Hkk"k
1-	श्री पी० के० पाण्डेय	प्राचार्य,	0788-2323548
2-	श्रीमती ममता अग्रवाल	विभागाध्यक्ष-कम्प्युटर साईंस	
3-	डॉ० श्रीमती वर्षा चौरसिया	विभागाध्यक्ष - धातुकर्म	
4-	श्री साजी टी. चाको	विभागाध्यक्ष - इलेक्ट्रिकल	
5-	श्री देवांशु प्रसाद	विभागाध्यक्ष - मेकेनिकल	
6-	श्रीमती हिमानी अग्रवाल	विभागाध्यक्ष - इलेक्ट्रॉनिक्स	
7-	श्री एम०एस० ठाकुर	व्याख्याता - एम०ओ०एम०	
8-	डॉ० डी०के०एस० सोलंकी	व्याख्याता - एम०ओ०एम०	
9-	श्री एस०एन०कामडे	व्याख्याता - सिविल	
10-	श्रीमती मंजूला त्रिपाठी	व्याख्याता - गणित (मानवीकी एवं विज्ञान)	
11-	श्रीमती ममता पटेल	व्याख्याता - विद्युत	0788-2323548
12-	श्री शंकर वराठे	व्याख्याता - विद्युत	
13-	श्रीमती माया सिंह	व्याख्याता - विद्युत	
14-	श्रीमती नमिता आगरकर	व्याख्याता - भौतिकी	
15-	श्रीमती अल्पना ओबेराय	व्याख्याता - यॉत्रिकी	
16-	श्रीमती रचना सिंह	व्याख्याता - भौतिकी	
17-	डॉ० काजल परगनिहा	व्याख्याता - एम०ओ०एम०	
18-	श्री पुष्पेन्द्र कुमार वर्मा	व्याख्याता - आई०टी०	
19-	श्री हुसैन उल्ला खान	व्याख्याता - आई०टी०	
20-	कु० नेहा त्रिपाठी	व्याख्याता - सी०एस०	
21-	श्री हरीश कुमार	व्याख्याता - विद्युत	
22-	कु० सुषमा साहू	व्याख्याता - यॉत्रिकी	
23-	कु० अंकिता साहू	व्याख्याता - सिविल	
24-	कु० पूनम साहू	व्याख्याता - इलेक्ट्रॉनिक्स	
25-	कु० ईषिता साहू	व्याख्याता - सिविल	
26-	कु०टिकेश्वरी साहू	व्याख्याता - यॉत्रिकी	
27-	कु० ज्योत्सना साहू	व्याख्याता - मेटलर्जी	
28-	कु०सुषमा सिंह	व्याख्याता - विद्युत	
29-	श्री गौरव गुप्ता	व्याख्याता - सिविल	
30-	श्री विवेक वर्मा	व्याख्याता - मेटलर्जी	
31-	श्री मनोज चन्द्राकर	व्याख्याता - सी०एस०	
32-	श्री गजेन्द्र देवांगन	व्याख्याता - यॉत्रिकी	
33-	कु० उपासना	व्याख्याता - यॉत्रिकी	
34-	श्री ईश्वर सिंह	व्याख्याता - मेटलर्जी	
35-	श्री ईशान साहू	व्याख्याता - इलेक्ट्रॉनिक्स	
36-	श्री विवेक अग्रवाल	सहायक कर्मशाला अधीक्षक	
37-	कु० चांदनी पटेल	व्याख्याता - मेटलर्जी	

38-	श्री प्रदीप कुमार राजपूत	व्याख्याता – इलेक्ट्रॉनिक्स	
39-	श्री गुलशन कुमार ठाकुर	व्याख्याता – रसायन	
40-	डॉ०(श्रीमती) दीक्षा तिवारी	व्याख्याता – अंग्रेजी	
41-	कु० नंदनी साहू	व्याख्याता – सी.एस.	
42-	श्री भुनेश्वर प्रसाद	व्याख्याता – एम०ओ०एम०	
43-	श्री सुभाश चन्द्र सोनी	प्रोग्रामर	
44-	श्री ढालसिंह देशमुख	निज सहायक	
45-	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	लेखापाल	
46-	श्री राजेश कुमार व्यास	सहायक ग्रेड –02	
47	श्री नीलकिशोर चौधरी	भंडार लिपिक	
48	श्रीमती शशिकला राउत	सहायक ग्रेड –02	
49	श्री राजेश मिश्रा	सहायक ग्रेड –02	
50	श्री मदनलाल साहू	सहायक ग्रेड –03	
51	श्री भगवानी राम ठाकुर	सहायक ग्रेड –03	
52	श्री पारेश्वर सिंह कंवर	सहायक ग्रेड –03	
53	श्री अरुण कुमार उर्वशा	सहायक ग्रेड –03	
54	श्री कन्हैया लाल ठाकुर	सहायक ग्रेड –03	
55	श्रीमती सुदेश किचलू	सहायक ग्रेड –03	
56	कु० रंजना कोराम	सहायक ग्रेड –03	
57	श्री सौरभ कुलकर्णी	सहायक ग्रेड –03	
58	श्री दिनेश कुमार गहरवार	मानचित्रकार	
59	श्री बिरेन्द्र कुमार ठाकुर	मानचित्रकार	
60	श्री रामदरस प्रजापति	कर्मशाला निर्देशक	
61	श्री एच०सी० नारनौरे	कर्मशाला निर्देशक	
62	श्री मेवालाल ताम्रकार	कर्मशाला निर्देशक	
63	श्री राजेन्द्र कुमार धीमन	कर्मशाला निर्देशक	
64	श्री आर०पी० नेताम	कर्मशाला निर्देशक	
65	श्री गौर सिंह ठाकुर	कर्मशाला निर्देशक	
66	श्री गौरी शंकर रावना	कर्मशाला निर्देशक	
67	श्री आर०आर० धुर्वे	कनिष्ठ प्रशिक्षक	0788–2323548
68	श्री फुलसिंह फूलस्त	कनिष्ठ प्रशिक्षक	
69	श्री अरुण कुमार कौशिक	यंत्र सुधारक	
70	डॉ० श्रीमती शांति शर्मा	तकनीकी सहायक	
71	श्री दिग्विजयदास सिरमौर	तकनीकी सहायक	
72	श्री एन०के० गुप्ता	तकनीकी सहायक	
73	श्री बहुरसिंह यादव	प्रयोगशाला तकनीशियन	
74	श्रीमती साधना शुक्ला	प्रयोगशाला तकनीशियन	
75	श्री रवि सिंह	प्रयोगशाला तकनीशियन	
76	श्री संजय कुमार मण्डावी	केयर टेकर	
77	श्री स्टेनिश लुईश	कुशल सहायक	
78	श्री जीतु राम धुव	कुशल सहायक	
79	श्री हर्षवर्धन श्रीवास्तव	कुशल सहायक	
80	श्री पूरन लाल भारती	कुशल सहायक	
81	श्री दीपक कुमार साहू	कुशल सहायक	

82	श्री देवेन्द्र प्रसाद साहू	प्लम्बर फीटर	
83	श्री मदन वर्मा	कुशल परिचारक	
84	श्री बलराम सिंह राजपूत	कुशल परिचारक	
85	श्री अब्दुल मजीद	कुशल परिचारक	
86	श्री संतोष कुमार दुबे	कुशल परिचारक	
87	श्री द्वारिका प्रसाद साहू	कुशल परिचारक	
88	श्री धर्मेन्द्र कुमार जालान	कुशल परिचारक	
89	श्री देवनारायण ध्रुव	कुशल परिचारक	
90	श्री दीपचंद देवांगन	कुशल परिचारक	
91	श्री प्रदीप कुमार साहू	कुशल परिचारक	
92	श्री ओमप्रकाश	कुशल परिचारक	
93	श्री गुलाब सिंह साहू	कुशल परिचारक	
94	कु० विद्या बरेठ	कुशल परिचारक	
95	श्री नागेश्वर	कुशल परिचारक	
96	श्री पोषण लाल यादव	कुशल परिचारक	
97	श्री पीताम्बर कुमार महानंद	कुशल परिचारक	
98	श्री धनराज	कुशल परिचारक	
99	श्री गोविन्द कुमार साहू	ट्रेसर	
100	श्री हीरासिंह यादव	वाहन चालक	
101	श्री नेतराम चन्द्राकर	भृत्य	
102	श्रीमती मेमिन बाई	भृत्य	
103	श्रीमती पुन्नी बाई	भृत्य	
104	श्रीमती बिसन बाई	भृत्य	
105	श्री टीकाराम ठाकुर	भृत्य	
106	श्री सत्यनारायण यादव	भृत्य	
107	श्रीमती पुना बाई	भृत्य	
108	श्री देवसिंह साहू	चौकीदार	
109	श्री रामसेवक यादव	चौकीदार	
110	श्री सखाराम ठाकुर	चौकीदार	0788-2323548
111	श्री रंजीत सिंह निषाद	चौकीदार	
112	श्री छन्नूलाल साहू	चौकीदार	
113	श्री गोविन्द राम	हॉस्टल सर्वेन्ट	
114	श्री संतोष कुमार यादव	हमाल	
115	श्रीमती दुग्धी बाई	हमाल	
116	श्री रूपधर	पम्प अटे.	
117	श्रीमती दुलम बाई	मजदूर	
118	श्री शिवनंदन बांधे	मजदूर	
119	श्री सुभाष कुमार	स्वीपर	
120	श्री नरसिंह नागेश	जिलाध्यक्ष दर पर स्वीपर	
121	श्री सूरज लाल ठाकुर	जिलाध्यक्ष दर पर दैनिक मजदूर	
122	श्री खम्हन लाल साहू	जिलाध्यक्ष दर पर मजदूर	
123	श्री भूखन लाल साहू	जिलाध्यक्ष दर पर मजदूर	

(11) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट:

वर्ष 2016-17 में विभाग को प्राप्त आबंटन एवं व्यय की जानकारी निम्न वेब साईड पर उपलब्ध है:- ...

https://ekoshonline.cg.nic.in/MergeDashboard/BudgetReports/Budget_Dashboard.aspx

(12) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

संस्था में लागू नहीं है

(13) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ लागू है।

संस्था में लागू नहीं है

(14) किसी इलेक्ट्रॉनिक्स रूप ते सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।

संस्था में लागू नहीं है

(15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष से, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यक्रम घंटे सम्मिलित है।

संस्था में लागू नहीं है

(16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां :

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां				
क्र.	लोक सूचना अधि. का नाम	पदनाम	कार्यालय	दूरभाष
1.	श्री विवेक आचार्य	संचालक/अपिलिय अधिकारी	संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर छ.ग.	07712331331
2.	श्री पी.के. पाण्डेय	प्राचार्य/जनसूचना अधिकारी	उ.प्र.उ. शास. पालीटेक्निक दुर्ग छ.ग.	07882323548
3.	डॉ. वर्षा चौरसिया	सहायक जनसूचना अधिकारी	उ.प्र.उ. शास. पालीटेक्निक दुर्ग छ.ग.	07882323548

(17) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा; अधीनस्थ कार्यालय

संस्था में लागू नहीं है

संस्था से संबंधित सामान्य जानकारी
संस्था में (सत्र 2017-18) प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची

क.	शाखा	प्रवेश क्षमता		प्रवेशित		लेटरल एंट्री
		पी.पी.टी.	लेटरल एंट्री	क्षमता / टीएफडब्ल्यू / केन्द्रीय दिव्यांग	टीएफडब्ल्यू	
1	स्थापत्यकला	40	08	43	02	07
2	यांत्रिकी	60	12	63	03	12
3	विद्युत	60	12	63	03	12
4	धातुकर्म	60	12	63	03	12
5	अणुभौतिकी एवं संचार	60	12	64	03	09
6	संगणक विज्ञान	40	08	42	02	05
7	सूचना प्रौद्योगिकी	30	06	32	02	04
8	आधुनिक कार्यालय प्रबंधन	40	0	42	02	0
9	स्थापत्यकला अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम	20	0	20	0	0
10	यांत्रिकी अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम	40	0	28	0	0
11	विद्युत अंशकालीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम	40	0	21	0	0
12	केन्द्रिय दिव्यांग योजना	25	0	04	0	0
	कुल योग	515	70	485	20	61

छात्रवृत्तियाँ (सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये)

संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिये मेरिट और मेरिट-कम-मीन्स स्कालरशिप रु. 600.00 प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था है ।

अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राओंको सुविधायें

संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र-छात्राओं के लिये बुक बैंक योजना, विशेष कोचिंग, ड्राइंग सामग्री एवं स्टेशनरी के प्रदाय की सुविधायें उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों (जिनके पिता/माता की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये तक) के लिये पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति का प्रावधान है । अध्ययनरत छात्रावासी छात्र-छात्राओं को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति 510.00 रुपये प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी छात्र-छात्राओं को 330 रुपये प्रतिमाह आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है ।

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों को शिक्षण शुल्क में भी छूट है। अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे छात्रों जिनके पिता/माता की आय रुपये 2.50 लाख प्रतिवर्ष तक है, शिक्षण शुल्क में पूरी छूट 100% तथा रुपये ढाई लाख से अधिक वार्षिक आय पर शिक्षण शुल्क में पूरी देय है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को सुविधायें

अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्रों को जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 1.00 लाख या उससे कम हो, शिक्षण शुल्क में पूरी छूट दी जाती है।

बी.पी.एल. छात्रवृत्ति

संस्था में अध्ययनरत प्रत्येक बी.पी.एल. (गरीबी रेखा के निचे जीवनयापन करने वाले) सामान्य श्रेणी के छात्र-छात्राओं को राशि रु. 500.00 प्रतिमाह प्रति सेमेस्टर (5 माह) दिये जाने का प्रावधान है।

ट्यूशन फी व्हेवर स्कीम (टी.एफ.डब्ल्यू.)

यह योजना सत्र 2007-08 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत ब्रंचवार प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें ट्यूशन फी व्हेवर सीटें होती हैं। 60 सीटों की प्रवेश क्षमता पर 03 सीटें फी व्हेवर के अंतर्गत होंगी। मेरिट के आधार पर इन सीटों पर प्रवेशित छात्र-छात्राओं को प्रवेशित संस्था की निर्धारित शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा। छात्र-छात्राओं के पालक/अभिभावक की समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय 4.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेरिट का आधार प्रवेश परीक्षा का रैंक है।

छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क माफ

छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित स्नातक एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्राओं को शिक्षण शुल्क माफ किया गया है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संस्था में लागू है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संस्था में लागू है।

निःशक्तजन परियोजना

संस्था में केंद्र शासन की सहायता से निःशक्तता से बाधितों के लिए योजना संचालित है। इस योजना के तहत विकलांग छात्रों को स्वरोजगार के लिये सक्षम बनाने हेतु 30-30 अलग-अलग विधाओं, यथा - मोटर वाइडिंग, टीव्ही, मैकेनिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, आंतरिक साज-सज्जा इत्यादि व्यवसायों में अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निःशक्तता से बाधितों के लिए संस्थाओं में नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत अतिरिक्त 25 सीटों पर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है ।

=====xxx=====